

दिनांक


हुकम या-कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर या तारीख
अनुमान जो इस
हुकम भी सामील
वे जारी हुए

२/६/२५

पत्रावली जेबा इंडी) वादिना एवं वादी आदि. अनु.
वादिना एवं वादी अधिवक्ता को विपमानुसार तीन
बार आवाजें लगाई गई, परन्तु कोई उपास्मित नहीं
आया। वादी एवं वादी अधिवक्ता को उपास्मित
नहीं आने पर - प्राजाति में पुनः एक बार आवाज
लगाई गई परन्तु कोई उपास्मित नहीं आया। वादिना
एवं वादी अधिवक्ता के उपास्मित नहीं आने के
कारण वादिना द्वारा उन्नाव वाद अनुसूचित धारा
८८, ८९, ९२(क) एवं १८८ राजस्थान काइलकाकी
आधिनियम को अद्य लागू की अवधि में जारी
किया जा रहा है। निर्णय करे इसलिये सुनाया गया।
उक्ति प्रचलित करी है।

पत्रावली फौजल शुमाट लेकर
नम्बर में कम ली और दायर दफ्तर में कम ली।


२/६/२०२५

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. चंचल देवी पत्नी प्रेम सिंह कोठारी उम्र वयस्क निवासी काशीपुरी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादिया

बनाम

1. जमना पुत्री कैलाशचन्द जी सेवक आयु वयस्क निवासी मुझरास तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. दुर्गा पुत्री कैलाशचन्द जी सेवक आयु वयस्क निवासी मुझरास तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. भगवती पत्नी कैलाशचन्द जी सेवक आयु वयस्क निवासी मुझरास तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. गोपाली पुत्री श्रीलाल जी सेवक आयु वयस्क निवासी मुझरास तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. नर्बदा पुत्री श्रीलाल जी सेवक आयु वयस्क निवासी मुझरास तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. लहरी पुत्री श्रीलाल जी सेवक आयु वयस्क निवासी मुझरास तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. लादी पुत्री श्रीलाल जी सेवक आयु वयस्क निवासी मुझरास तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
8. शांति पुत्री श्रीलाल जी सेवक आयु वयस्क निवासी मुझरास तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा
10. उपपंजीयक, उपपंजीयक कार्यालय, भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 92क व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1955

वाद बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 09/2024 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री राकेश जैन अनुपस्थित - इस वाद में आज तारीख 02.06.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है-

वादिया एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 92क एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।


21/6/25
(अरुण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा